(124)

349

समक्ष माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर बेन्च रीवा,
जिला रीवा (म0प्र0) R-5516-दो/16

कौशलराम तनय हरगोविन्द तिवारी, निवासी ग्राम घोपारी, तहसील सिहावल, जिला सीधी (म0प्र0)

———आवेदक

बनाम्

1– केशवराम तिवारी तनय जय गोविन्द तिवारी, निवासी ग्राम घोपारी, तहसील सिहावल, जिला सीधी (म0प्र0)

2– शासन म0प्र0

———अनावेदकगण

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर जिला सीधी म0प्र0 (डॉ0 एम0पी0 पटेल) राजस्व प्रकरण कमांक–317/निगरानी/2011–12 आदेश दिनांक 29/09/2016

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 ई0

आवेदक अभिभाषक श्री अनिल तिवारी एड० 28.11.16 द्वारा पेश

28.11.16

कोर्ट राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

मान्यवर,

आधार निगरानी निम्न है :–

1– यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश विधि एवं प्रकिया के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

2– यह कि अधीनस्थ न्यायालय एवं परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश मौके की वास्तविक स्थिति के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

3– यह कि प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि भूमि खसरा क्रमांक–68 रकवा 0.49 ए0 स्थित मौजा धोपानी, तहसील सिहावल, जिला सीधी म0प्र0 भूमि खसरा क्रमांक–66, 67 की मेड़ थी ।

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक RSS16-II/16 [redacted] जिला–सीधी

कौशल राम तिवारी/ केशवराम तिवारी

(1)	(2)	(3)
25.08.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री **अनिल तिवारी** उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला सीधी प्रकरण क्रमांक 317/निगरानी/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 29.09.16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.10.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (महेश चन्द्र चौधरी), सदस्य	